संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

सतपुड़ा–भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश

क्रमॉक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–संविदा / 2020 / 1301 भोपाल,दिनांक 7 / 08 / 2020

–:: आदेश ::–

चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय प्रस्तुत किये गये अनिवार्य सेवा के बंधपत्र के अनुक्रम में प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण किये निम्नलिखित बंधपत्र स्नातक चिकित्सकों की पदस्थापना तत्काल प्रभाव से एक वर्ष की अवधि के लिये कॉलम कमाक "04" में दर्शाए गये पदस्थापना स्थान पर की जाती है **परंतु भोपाल शहर में कोविड– 19 के मरीजों की अत्यधिक संख्या के दृष्टिगत्** *निम्नलिखित बंधपत्र चिकित्सकों को एतद् द्वारा अन्य आगामी आदेश तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल के अधीन कार्य संपादित किए जाने हेतु आदेशित किया जाता है।*

उपरोक्त कार्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल द्वारा कार्यमुक्त होने के उपरांत संबंधित बंधपत्र चिकित्सकों को आवेदन–पत्र अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

क्र	इन्रोलमेंट क्रमांक	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	चिकित्सक का नाम	पता	पदस्थापना स्थल
01	02	03	04	05	06
1	MG006M0000 14001	Medical College Rewa	आयुषी समदानी	म.क.73, वार्ड क. 7 घासपुरा गली मनाशा (म.प्र.)	Under CMHO Bhopal
2	MG006M00 0014066	Medical College Rewa	प्रतिभा सिंह	वार्ड न. 15 ग्राम संतितिर पोस्ट भुनगवान रीवा जिला रीवा पिन कोड 486223	Under CMHO Bhopal
3	MG006M0000 14011	Medical College Rewa	अनुराधा चरपे	प्रभात पट्टन, तह. मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)	Under CMHO Bhopal
4	MG006M0000 14033	Medical College Rewa	गायत्री	एम.क्यू. 3084 कैलाश नगर, शोभापुर कॉलोनी, पाथाखेड़ा जिला बैतूल (म.प्र.)	Under CMHO Bhopal
5	MG006M0000 14005	Medical College Rewa	आकाश दीप मोन्गा	म.क.33, विशाल कालोनी नजदीक प्रेम नगर बरनाला रोड तह.+जिला सिरसा, हरियाणा	Under CMHO Bhopal
6	MG006M0000 14008	Medical College Rewa	अंजली सिंह	म.क.219 बदरा ग्राम बदरा तह. अनूपपुर (म.प्र.)	Under CMHO Bhopal
7	MG006M0000 14061	Medical College Rewa	पारूल यादव	87 भयामापल्ली कॉलोनी खजुरी कला भोपल (म.प्र.)	Under CMHO Bhopal
8	MG006M0000 14094	Medical College Rewa	स्वप्निल जैन	एल.आई.सी. ऑफिस के पास बड़ा मलेहरा जिला छतरपुर (म.प्र.)	Under CMHO Bhopal
9	MG006M0000 14067	Medical College Rewa	प्रतिभा सिंह	म.क. 240ए, अपर रेलवे कॉलोनी महू जिला इन्दौर (म. प्र.)	Under CMHO Bhopal
10	MG006M0000 14057	Medical College Rewa	पराग जैन	तह. शिवपुरी जिला शिवपुरी (म.प्र.)	Under CMHO Bhopal
11	MG006M0000 14060	Medical College Rewa	पार्थ कुमार	सी–15 बीड़ नगर एम.आर.10 इन्दौर (म.प्र.)	Under CMHO Bhopal
12	MG006M0000 14044	Medical College Rewa	कुसुम माहौर	ग्राम+पोस्ट झाखरी, तह. गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)	Under CMHO Bhopal

6/8/2020

13	13-462	Medical College Rewa	सागर भास्कर	खरगौन	Under CMHO Bhopal
14	F-10-282	Medical College Rewa	राम सिंह इकवाले	ग्राम कटकोरा, पोस्ट सोन्दुल तह. बडवानी जिला बडवानी म.प्र. पिन को. 451551	Under CMHO Bhopal
15	MG006M00014054	Rewa	नेहा सिंह	भगत सिंह वार्ड बंगाली कॉलोनी मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)	Under CMHO Bhopal
16		Sagar-2020	अश्वत दुबे	भोपाल	Under CMHO Bhopal

उक्त बंधपत्र चिकित्सक सीधे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल के अधीन उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे, इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

1/ चिकित्सक अपना फोटो आई0डी0 एवं इस आदेश की प्रति (दोनो मोबाईल में भी मान्य) संबंधित अधिकारी को दिखाने पर उन्हें भोपाल यात्रा की पात्रता होगी।

2/ संबंधित चिकित्सकों को अपने निवास स्थल से भोपाल आने हेतु लाकडाउन/कर्फ्यू अवधि में पात्रता है। बंधपत्र चिकित्सकों के वर्तमान निवास के जिले से भोपाल तक जाने की व्यवस्था संबंधित जिले जिसमें बंधपत्र चिकित्सक वर्तमान में निवासरत् है, के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की जावेगी। बंधपत्र चिकित्सकों को प्रथमतः अपने निवास स्थल के जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आगामी वाहन/पास व्यवस्था हेतु संपर्क करना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारी/कर्मचारियों को अनुमति के संबंध में समस्त कलेक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया जा चुका है।

5/ उपरोक्त समस्त चिकित्सकों के भोपाल शहर में रहने एवं भोजन व्यवस्था मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल द्वारा जिला कलेक्टर के सहयोग से की जावेगी।

6/ उपरोक्त समस्त चिकित्सकों द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल के अधीन उपस्थिति प्रस्तुत करने की दिनांक से बंधपत्र अवधि प्रारंभ मानी जावेगी तथा उन्हें बंधपत्र राशि/मानदेय का भुगतान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल द्वारा किया जावेगा।

7/ भोपाल में ड्युटी हेतु प्रस्थित होने पर अथवा भोपाल शहर में किसी भी आकस्मिकता/आवश्यकता पर सी0एम0एच0ओ0 भोपाल डॉ प्रभाकर तिवारी, से मोबाईल 9827554923 एवं दूरभाष पर संपर्क किया जा सकता है। विभागीय वेबसाईट पर www.health.mp.gov.in में who is who अंतर्गत कार्यालय के दूरभाष उपलब्ध है।

8/ भोपाल सेवा अवधि के दौरान बंधपत्र मानदेय का भुगतान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल द्वारा किया जावेगा।

उपरोक्त बंधपत्र चिकित्सक निम्नलिखित शर्तो के अधीन कार्य करेंगे :-

1/ आदेश दिनांक से 07 दिवस के अन्दर आपको अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल के अधीन देना अनिवार्य है।

2/ उपर्युक्त सेवा अवधि में स्नातक (एम0बी0बी0एस0)चिकित्सकों को रूपये 55000/- स्नातकोत्तर चिकित्सकों को उपाधि (डिग्री) हेतु एक मुश्त पारिश्रमिक रूपये 59,000/-प्रतिमाह एवं पत्रोपाधि (डिप्लोमा) हेतु एक मुश्त पारिश्रमिक रूपये 57,000/-प्रतिमाह प्राप्त होगा।

3/ चिकित्सकों को एक आकस्मिक अवकाश प्रतिमाह की पात्रता होगी । आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त मातृत्व अवकाश की पात्रता होगी, किन्तु अन्य अवकाश जैसे अर्जित, असाधारण अवकाश आदि की पात्रता नहीं होगी । बंधपत्र अवधि पूर्ण करने हेतु मातृत्व अवकाश अवधि की समान अवधि हेतु पुनः कार्य संपादित करना होगा एवं उक्त अवधि में नियमानुसार पारिश्रमिक/मानदेय की पात्रता होगी।

4/ चिकित्सक को दैनिक कार्य की जानकारी माह के अंत में संस्था प्रमुख को प्रस्तुत करना होगी ओर उसके आधार पर ही मानदेय के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

5/ राज्य शासन आपकी यह अनिवार्य ग्रामीण सेवा 07 दिन का नोटिस देकर समाप्त कर सकेगा किन्तु आपके द्वारा किसी भी स्थिति में निर्धारित अवधि के पूर्व सेवा नही छोड़ी जा सकेगी और ऐसा करने की स्थिति में बंधपत्र निष्फल माना जावेगा ।

6/ उपर्युक्त पदस्थापना निश्चित अवधि के लिये है। इस सेवा अवधि के आधार पर चिकित्सक को नियमित नियुक्ति या वरिष्ठता, वेतन वृद्वि आदि संबंधी कोई अधिकार प्राप्त नही होंगे।

7/ चिकित्सक को पदस्थापना की संस्था के प्रमुख के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करना होगा और कार्य अवधि में चिकित्सक पर आचरण के संबंध में निम्न बंधन रहेगें।

(एक) पूर्ण रूप से संनिष्ठ रहेगा,
(दो) कर्तव्य परायण रहेगा,
(तीन) ऐसा कोई कार्य नही करेगा जो उसके पद के लिए अशोभनीय है।

6/8/2020

पदस्थापना स्थान में कोई परिवर्तन नही किया जाएगा।

9/ आवश्यकता न होने पर उपर्युक्त अनिवार्य सेवा कभी भी एक माह की सूचना देकर समाप्त की जा सकेगी। समयपूर्व सेवा समाप्ति के बदले किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नही होगी।

10/ चिकित्सक को आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अन्दर अपनी उपस्थिति आदेशानुसार प्रस्तुत करना होगी। निर्धारित दिनांक तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर या इस आदेश की शर्तो का उल्लघंन करने पर, बंधपत्र के अनुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी।

11/ उपर्युक्त कार्य अवधि में मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम,1965 आपके ऊपर लागू होगा। इस अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करना होगा।

12/ अनिवार्य ग्रामीण सेवा अवधि विशिष्ट स्थान के लिये होगी तथा किसी भी परिस्थितियों में इसका परिवर्तन नही किया जावेगा। यदि बंधपत्र चिकित्सक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल के अधीन कार्यग्रहण करते है तो भोपाल में ड्युटी अवधि पूर्ण होने के उपरांत उनके मांग अनुसार पदस्थापना स्थल संबंधी आवेदनों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जावेगा अन्यथा की स्थिति में उनका बंधपत्र निष्फल माना जाकर विधिक कार्यवाही हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग को तत्काल नाम प्रेषित किए जावेंगे।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

6/8/2020

(सपना एम0लोवंशी)
अपर संचालक(विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

क्रमॉक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–संविदा/2020/ 1302 **भोपाल, दिनांक 7/ 08/2020**

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वल्लभ भवन भोपाल,म0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्रीजी, म0प्र0शासन, वल्लभ भवन भोपाल,म0प्र0।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र.।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, गृह विभाग, म.प्र.।
6. स्वास्थ्य आयुक्त, म0प्र0।
7. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल,म0प्र0।
8. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल ।
9. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन म.प्र.।
10. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म0प्र0।
11. अपर संचालक(वित्त), स्थानीय कार्यालय, भोपाल,म0प्र0।
12. समस्त क्षेत्रिय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
13. समस्त संबंधित कलेक्टर म.प्र.– जिला पुलिस अधीक्षक एवं समस्त थाना प्रभारी को चिकित्सकों को लाकडाउन/कर्फ्यू अवधि में आवागमन की अनुमति हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें । कलेक्टर संबंधित चिकित्सकों के निवास/भोजन व्यवस्था हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक–कृपया समस्त थाना प्रभारी को चिकित्सकों को लाकडाउन/कर्फ्यू अवधि में आवागमन की अनुमति हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
15. समस्त संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.। सी0एम0एच0ओ0 भोपाल , कलेक्टर भोपाल के सहयोग से संबंधित चिकित्सकों हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ करें।
16. जिला कोषालय अधिकारी,भोपाल -- विशेष परिस्थिति के दृष्टिगत् बंधपत्र चिकित्सकों के मानदेय भुगतान हेतु म0प्र0।
17. समस्त संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म0प्र0।
18. प्रभारी एम0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय,म0प्र0।
19. समस्त संबंधित बंधपत्र चिकित्सकों की ओर पालनार्थ।

6/8/2020

अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश